(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(25)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 5/

Dated: 20/8/20

Notification No. 11/2020- State Tax

No. F.3(25)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/
- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons(hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. Registration.- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP/RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration)in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

- 3. **Return.-** The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.
- 4. Input tax credit.-(1)The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions

of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Delhi Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

- (2)Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.
- 5. Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

6. This notification shall come into with effect from the 21st day of March, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 20/8/20

No.F3(25)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 5/

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
- 2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

10. Guard File.

1]. Website.

(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली-110 002.

सं.फा. 3(25) / वित्त(राजस्व–I) / 2020–21 / डी.एस. IV / 5/

दिनांकः 20/8/40

अधिसूचना संख्या 11/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(25) / वित्त(राजस्व—I) / 2020—21 / डी.एस. IV - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी / आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रजिस्ट्रीकरण.— ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा । जो आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

- 3. विवरणी.— ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रिजस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रिजस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।
- 4. इनपुट का प्रत्यय.— (1) आईआरपी / आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।
- (2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रिजस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रिजस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रिजस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण .— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतिरम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं ।

6.यह अधिसूचना 21मार्च, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (सुनील सहगल) उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(25) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डी.एस. IV / 5 /

दिनांकः २०/८/२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

आयुप्त, राज्य पर, प्रस्ता, जापार पर, जापार

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

10. गार्ड फाइल।

11 वेंब साईट।

(सुनील सहगल) उप सचिव– IV (वित्त)